न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/2087/2003/धौलपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 शमशू पुत्र छिद्दू
2 भूरा पुत्र छिद्दू
3 नूरा पुत्र छिद्दू
4 महबूब पुत्र मौला
5 जमीला बेवा कल्ला
6 निवोई पुत्र कल्ला
7 बबलू पुत्र कल्ला
8 सरीफ पुत्र कल्ला समस्त जाति मुसलमान तेली निवासी बाडा तेलियान बजरिया धौलपुर
9 गुडडी पुत्र कल्ला पत्नी जमाल निवासी ग्राम जिगनी तहसील सबलगढ जिला मुरैना म.प्र.

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोड़ूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक
श्री श्रीनिवास बेनिवाल वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.5.10.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर केम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 175(बी)/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.2.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि ग्राम साडा की आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी नम्बर 1 को वसमूल मृतक मौला पुत्र चेउआ को उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा दिनांक 30.11.71 को रेगुलाईज करने का आदेश दिया था। साबिक आराजी खसरा नम्बर 287/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 288/1 रकबा 17 बिस्वा की किस्म चारागाह से हार खाकी में व खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की किस्म रास्ता से हार खाकी में तब्दील करने के बाद रेगुलाईज के आदेश दिये। सम्वत 2023 से लगान जमा कराने के आदेश दिये। उक्त फैसले की अनुपालना में रेकर्ड में नाम अंकित करने का आदेश दिया परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी संख्या 1 व मृतक मौला के नाम का कोई इन्द्राजात नहीं किया एवं विवादित आराजी चारागाह व रास्ता दर्ज कर दी जिससे वादीगण के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 17.9.2001 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्व वादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 8.2.2002 से अपील स्वीकार कर वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में प्रारम्भ से ही गैर मु0 चारागाह एवं गैर मु0 रास्ता दर्ज रही हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार तथा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर व रकबे का मिलान प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता है। वादीगण ने वाद स्पष्ट कथनों के साथ प्रस्तुत नहीं किया है तथा साबिक खसरा नम्बर 287/1 रकबा 1 बीघा 11, खसरा नम्बर 288/1 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का नियमन किया जाना वाद में कथन किया है जबकि हाल खसरा नम्बर 272 का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर खातेदारी चाही गई हैं, शेष रकबे के बारे में वादीगण ने वादपत्र में कुछ भी नहीं बताया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों को देखे बिना ही निर्णय दिया है जो विधि विरूद्व होने से यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार ही वाद डिक्री किया है। भू आवंटन सलाहकार समिति को इस प्रकार के नियमन व आवंटन के मामलों में भूमि की किस्म परिवर्तन करने के अधिकार राज्य सरकार द्वारा परिपत्र संख्या एफ.11(233)राज. /ख./64 जयपुर दिनांक 12.3.1965 से उपखण्ड अधिकारियेां को दिये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी ने इसकी अनुपालना में विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नियमन योग्य पाये जाने पर किस्म परिवर्तन कर विधि अनुसार नियमन का आदेश दिया है। वादीगण ने वाद स्पष्ट कथनों के साथ प्रस्तुत किया है तथा उपखण्ड अधिकारी का आदेश व खसरा गिरदावरी आदि राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर वाद साबित कराया है। वर्तमान प्रकरण में धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 चारागाह व गैर मु0 रास्ता होना मानकर तथा उपखण्ड अधिकारी को किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर वादीगण का वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी को किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार होना व विवादित भूमि का नियमन किये जाने के आधार पर अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2028 से 2030 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 287/1, 288/1 चारागाह तथा खसरा नम्बर 289 रास्ता दर्ज है तथा कालम संख्या 41 विशेष विवरण में ना.क. मौला वल्द चेउआ शमशू वल्द छिद्दू का होना व उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमन किये जाने का नोट अंकित है। जमाबन्दी जिस पर वर्ष अंकित नहीं है खसरा नम्बर 272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा चारागाह दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2050 से 2053 में भी चारागाह ही दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 370/71 निर्णय दिनांक 30.11.71 प्रदर्श 6 में उक्त साबिक खसरा नम्बर 287/1 रकबा 1-1 बिस्सा, 288/1 रकबा 17 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 289 रकबा 1-14 बिस्वा का नियमन किये जाने का आदेश दिया गया है। परन्तु उक्त आदेश पर केवल उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के हस्ताक्षर है। आवंटन कमेटी के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि इस आदेश में आवंटन कमेटी द्वारा लिये गये फैसले के अनुसार आदेश दिया जाना अंकित किया है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 287मि. रकबा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 289मी.

रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा बने हैं।

8. यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि गैर मु0 चारागाह व गैर मु0 रास्ता होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को विधि में नहीं है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत परिपत्र दिनांक 12.3.1965 संक्षेप में है, पूरा परिपत्र नहीं है जिससे इसका लाभ प्रत्यर्थीगण वादीगण को नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 चारागाह व गैर मु0 रास्ता होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। गैर मु0 भूमि का आशय कृषि हेतु उपलब्ध नहीं रहना होता है। ऐसी भूमियां हल चलाने हेतु कृषि योग्य व अयोग्य दोनों हो सकती है परन्तु चारागाह व रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमियां होती है। प्रस्तुत प्रकरण मौके अनुसार त्रुटिपूर्ण रूप से गैर मु0 दर्ज होने का तथा मौके अनुसार मुमकिन बनने का नहीं है। अपितु मूलतः भूमि के सार्वजनिक उपयोग का है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता।

9. मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 287मी. रकबा 10 बिसवा व 289मी. रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा बने हैं। जबकि उपखण्ड अधिकारी के नियमन आदेश दिनांक 30.11.71 में खसरा नम्बर 287/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 288/1 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा है। वादीगण द्वारा उक्त नियमित रकबे के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है एवं मात्र 1 बीघा 11 बिस्वा जो कि साबिक खसरा नम्बर 287 के 10 बिस्वा व 289 के 1 बीघा 7 बिस्वा से बना है, के संबंध में ही वाद में अनुतोष चाहा गया है। नियमन आदेश में दिये गये शेष रकबे के बारे में वादीगण द्वारा वाद में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस प्रकार वादीगण क्लीन हैण्ड से भी नहीं आये हैं। यह भी स्पष्ट है कि नियमन आदेश में आवंटन सलाहकार समिति की राय से नियमन किये जाने का अंकन किया गया है परन्तु शेष सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त नियमन आदेश दिनांक 30.11.71 का है एवं इसकी अनुपालना में राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई है। परन्तु दावा दायरी से पूर्व वादीगण द्वारा विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में स्वंय के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की जाना भी साबित नहीं होता है तथा इस अवधि में वादीगण का कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत

नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रत्यर्थीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता एवं हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.2.2002 निरस्त किये जाते है तथा उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2001 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष